



Neutral Citation No. - 2026:AHC:14596

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट - सी संख्या - 45324/2025

राम बाबू

.....याची

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 4 अन्य

.....प्रत्यर्थी

याची के अधिवक्ता: नीरज सिन्हा, प्रशांत सिंह, सुरेश यादव

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता: मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 6

माननीय प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति

1. याची के अधिवक्ता को दिन की कार्यवाही के दौरान अपर आयुक्त (न्यायिक), प्रयागराज मंडल, प्रयागराज को प्रत्यर्थी संख्या 6 के रूप में पक्षकार बनाने की अनुमति दी जाती है।
2. प्रत्यर्थी संख्या 6, अर्थात् अपर आयुक्त (न्यायिक), प्रयागराज मंडल, प्रयागराज द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.05.2024 चुनौती के अधीन है।
3. यह तर्क दिया गया है कि उपरोक्त आदेश द्वारा, अंतरिम राहत प्रदान करने के आवेदन को बिना कोई कारण बताए खारिज कर दिया गया था। पूर्व में भी इसी प्राधिकारी द्वारा बड़ी संख्या में आदेश पारित किए गए थे और वे सभी मामले इस न्यायालय के समक्ष आए थे, जिन्हें इस न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया था।
4. यह स्थापित कानून है कि व्यादेश देने की शक्ति सिविल प्रक्रिया संहिता (C.P.C.) के आदेश 39 नियम 1 और 2 के तहत प्रदान की गई है। उपरोक्त नियमों में, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अंतरिम व्यादेश देने के लिए कुछ सिद्धांत निर्धारित किए गए हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय के साथ-साथ इस न्यायालय द्वारा भी यह माना गया है कि अंतरिम व्यादेश देते समय तीन बुनियादी सिद्धांतों, अर्थात् (क) प्रथम दृष्टया मामला, (ख) सुविधा का संतुलन, और (ग) अपूरणीय क्षति पर विचार किया जाना चाहिए। 'मेकर्स डेवलपमेंट सर्विसेज (पी) लिमिटेड बनाम एम. विश्वेश्वरैया इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर, (2012) 1 SCC 735' के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि आदेश 39, नियम 1 और 2 के तहत व्यादेश का अंतरिम आदेश पारित करते समय न्यायालय को इन तीन बुनियादी सिद्धांतों पर विचार करना आवश्यक है। व्यादेश देते समय पक्षकारों के आचरण को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।
5. इस मामले को देखते हुए, प्रत्यर्थी संख्या 6, अर्थात् अपर आयुक्त (न्यायिक), प्रयागराज मंडल, प्रयागराज द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.05.2024 निरस्त किए जाने योग्य है और इसे एतद्वारा निरस्त किया जाता है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



6. प्रत्यर्थी संख्या 6 को निर्देशित किया जाता है कि वह कानून के अनुसार सख्ती से और शीघ्रता से एक नया आदेश पारित करें।
7. उपर्युक्त टिप्पणियों के साथ, रिट याचिका स्वीकार की जाती है।

(प्रकाश पांडिया, न्यायमूर्ति)

21 जनवरी, 2026

स्वाति

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"